

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- जीयनपुर

पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, एक अदद रिवाल्वर .32 बोर व दो कारतूस जिन्दा .32 बोर व एक तमन्चा एक कारतूस जिन्दा व एक खोखा कारतूस .315 बोर व एक मो0सा0 हीरो

स्प्लेण्डर बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 29.12.2020 को प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व में SI केशर यादव मय हमराह के चौकी लाटघाट से देखभाल क्षेत्र रात्रि गस्त तलाश वांछित अभियुक्त में समय 00.15 बजे स्वाना होकर देखभाल व रात्रिगस्त करते हुए गडेरुआ जाने वाले तिराहे पर मौजूद थे कि जीयनपुर की तरफ से दो मोटर साइकिल आती हुई दिखाई दी जिसे सुरक्षा व अपराधी चेकिंग की दृष्टि से रोका व टोका गया तो पास पहुंचते ही मो0सा0 सवार बदमाशों में एक ने कहा कि मारो पुलिस और पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से बदमाशों में से एक ने फायर किया, पुलिस टीम बाल बाल बच गयी तथा हिकमत अमली व प्रशिक्षण का लाभ लेते हुए ललकारते हुए घेराबन्दी कर एक मो0सा0 व तीन बदमाशों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये बदमाशों से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम तुषार राय S/O आनन्द राय निवासी ग्राम किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ बताया इसकी जामा तलाशी ली गई तो इसके पास से एक मो0सा0 UP 50 BS 8406 हीरो स्प्लेण्डर बरामद हुई। दूसरे ने अपना नाम संतोष पाल पुत्र बालचन्द पाल निवासी ग्राम मुजफ्फरनगर थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ बताया इसकी जामा तलाशी ली गयी तो इसके दाहिने हाथ से एक तमन्चा एक कारतूस जिन्दा व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम हर्ष राय उर्फ गोलू पुत्र अजय राय उर्फ डबलू निवासी ग्राम किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ बताया इसकी जामा तलाशी ली गई तो एक अदद रिवाल्वर .32 बोर व दो कारतूस जिन्दा .32 बोर बरामद हुआ व तथा मो0सा0 नं0 UP 50 AL9676 पल्सर काली रंग का चालक बदमाश मो0सा0 सहित जीयनपुर की तरफ भागने में सफल रहा जिसका नाम पता पकड़े गये बदमाशों से अलग -2 व सामुहिक रूप से पूछा गया तो सभी ने अलग - 2 व सामुहिक रूप से उसका नाम मनीष सिंह उर्फ चन्दन सिंह उर्फ जोजो पुत्र शिवकुमार सिंह निवासी टोडरपुर (राशेपुर) थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ बताया उपरोक्त चारों बदमाशों का पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करना धारा 307/34 IPC व अभियुक्त संतोष पाल व हर्ष राय उर्फ गोलू राय उपरोक्त के पास से बरामद नाजायज असलहा 3/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध है। अतः कारण गिरफ्तारी समय 03.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया बरामद मो0सा0 का कागजात माँगने पर नहीं दिखा सके। अतः इसे धारा 207 MV ACT में सीज कर कब्जा पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1. मु0अ0सं0 448/2020 धारा 307/34 IPC, 2. मु0अ0सं0 449/20 धारा 3/25 A.ACT व 3. मु0अ0सं0 450/2020 धारा 3/25 A.ACT पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- तुषार राय पुत्र आनन्द राय
2. हर्ष राय उर्फ गोलू पुत्र अजय राय उर्फ डबलू निवासी गण किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
3. संतोष पाल पुत्र बालचन्द पाल निवासी मुजफ्फरनगर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1. एक अदद रिवाल्वर .32 बोर व दो कारतूस जिन्दा .32 बोर
2. एक तमन्चा एक कारतूस जिन्दा व एक खोखा कारतूस .315 बोर
3. एक मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर UP 50 BS 8406

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 448/2020 धारा 307/34 IPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 449/20 धारा 3/25 A.ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 450/2020 धारा 3/25 A.ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

फरार अभियुक्त

1. मनीष सिंह उर्फ चन्दन सिंह उर्फ जोजो पुत्र शिवकुमार सिंह निवासी टोडरपुर(रासेपुर) थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 केशर यादव थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़
2. HC सुशील सिंह हीरालाल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. HC महबूब अली हीरालाल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 हीरालाल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़